

—: राजस्थान सरकार—

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :-

बाल कृष्ण तिवारी (आर०ए०एस०)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, धौलपुर

प्रकरण संख्या :-

22/2023

उनवान प्रकरण

पदम सिंह परमार , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वा० अधिकारी
धौलपुर राज०

.....आवेदक

बनाम

1. मोहित अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल ,उम्र 32 वर्ष , जाति वैश्य , विक्रेता
मैसर्स:- राजकुमार मावा भण्डार , नाना साहब का बाडा , बजरिया , धौलपुर निवासी
नाना साहब का बाडा ,बजरिया, धौलपुर ।
2. राजकुमार अग्रवाल पुत्र श्री गोविंद प्रसाद अग्रवाल, मालिक मैसर्स:- राजकुमार मावा
भण्डार , नाना साहब का बाडा , बजरिया , धौलपुर

.....अभियुक्तगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51
एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :-

आवेदक की ओर से
अभियुक्त की ओर से

:- श्री पदम सिंह परमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
:- स्वयं (असालतन)

निर्णय

दिनांक - 27.09.2023

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री पदम सिंह परमार ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/51 एफ०एस०एस० एक्ट 2006 रूल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 08.02.2023 को सांय 8.00 पीएम बजे सागरपाडा पुलिस चौकी पर पहुँचा जहाँ पर पुलिस द्वारा दी गई तहरीर के अनुसार 35 डलिया मावा (प्रत्येक लगभग 45 किलोग्राम) कुल करीब 1575 किलोग्राम मावा मौके पर पुलिस द्वारा पकडा गया मौके पर विक्रेता मोहित अग्रवाल पुत्र राजकुमार अग्रवाल को मावा मालिक होना बताया एवं विक्रेता से खाद्य अनुज्ञापत्र मांगे जाने पर विक्रेता ने खाद्य अनुज्ञापत्र मैसर्स:- राजकुमार मावा भण्डार , नाना साहब का बाडा , बजरिया , धौलपुर बताया ।

aw

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं० 22/2023 सरकार बनाम मोहित अग्रवाल बगैरा

(2)

निरीक्षण के दौरान बस में रखे 35 प्लास्टिक कट्टों में (प्रत्येक में 45 किलोग्राम) लगभग 1575 किलोग्राम मावा था जिसको कि विक्रेता द्वारा बस से इन्दौर ले जाना बताया । उक्त मावा में मिलावट का शक हुआ तो आवेदक ने उक्त मावा का नमूना वास्ते जाँच देने हेतु कहा विक्रेता को प्रपत्र 5 (ए) के देकर एक प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर लिए एवं गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये जो पत्रावली में संलग्न है । उक्त मावा में से समस्त डलियों में नम्बर 1 लगायत 35 डालकर तीन भागों में विभाजित किया । डलियों संख्या 01 से 10 तक से नमूना संख्या डी 2715, डलियों संख्या 2716 एवं डलियों 21 से 35 में से नमूना संख्या डी 2717 लेने की कार्यवाही की गई । नमूना संख्या डी 2716 एवं नमूना संख्या 2717 जाँच रिपोर्ट में मानक स्तर के पाये गये है । उक्त 1575 किलोग्राम मावा में से नमूना संख्या 2715 का जो कि डलियों संख्या 01 से 10 तक में से 1 किलोग्राम मावा वास्ते नमूना जाँच खरीदा जिसकी कीमत विक्रेता मोहित अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल को रुपये 230/- (दो सौ तीस रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिसपर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर मैंने भी हस्ताक्षर किये । खरीद शुदा 01 किलोग्राम मावा चार नमूना भाग तैयार किया जिस पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर के कोड क्रमांक डी-2715 खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम, पदनाम, खाद्य वस्तु का नाम, नमूना लेने का स्थान, आदि दर्ज कर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये । चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेटकर कागज के कोनों को गोंद से चिपकाया प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी धौलपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर रिलप नं० डी-2715 नियमानुसार चारों नमूना भागों को चिपकाकर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये गये । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर की गई कार्यवाही की एक फर्द रिपोर्ट तैयार की गई जिसको पढकर सुनाकर, समझाकर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक ने भी हस्ताक्षर किये । खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म vi की छः प्रतियाँ तैयार कर प्रत्येक प्रति पर नमूना सील लगाई जिससे नमूना मौके पर सी बन्द किये । एक नमूना भाग मय फार्म संख्या vi की एक प्रति चिपकाकर एवं सील चपडी कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला भरतपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की । आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पत्र क्रमांक 710 दिनांक 09.02.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक राजस्थान भरतपुर से प्राप्त जाँच रिपोर्ट एलएस/93/एक्ट/2023/128 दिनांक 09.02.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया मावा अवमानक (Substandard) प्रकृति का पाया गया । उक्त केस में मावा अवमानक (Substandard) का विक्रय करके विक्रेता श्री मोहित अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल, उम्र 32 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स:- राजकुमार मावा भण्डार, नाना साहब का बाडा, बजरिया, धौलपुर जिला धौलपुर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है जो सबस्टेण्डर्ड प्रकृति का है जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है । अतः प्रकरण में उचित जुर्माना करने का अनुरोध किया है ।

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट धौलपुर

एफ.एस.एस.एक्ट प्रकरण सं० 22/2023 सरकार बनाम मोहित अग्रवाल बगैरा

(3)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये। अप्रार्थी को आरोप पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी ने कहा कि अप्रार्थी कानूनी प्रक्रिया से अनभिज्ञ है। साथ ही अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश करने से मना किया तथा अपना जुर्म स्वीकार करते हुये कम से कम जुर्माना कर प्रकरण को निस्तारण करने की प्रार्थना कर अपनी लिखित सहमति व्यक्त की।


प्रकरण में पैरोकार सरकार एवं अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई। अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान अपने कथनों में अपना जुर्म स्वीकार किया तथा भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं करने एवं कम से कम जुर्माना कर प्रकरण का निस्तारण करने की सहमति व्यक्त की।

हमने पैरोकार सरकार व अप्रार्थीगण को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने से प्रमाणित होता है कि अप्रार्थीगण ने उक्त मावा अवमानक (Substandard) का विक्रय करके खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 (2)(ii) का उल्लंघन किया है। इस प्रकार अप्रार्थी उक्त मावा अवमानक (Substandard) बेचने का दोषी है जो धारा 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है।

हालांकि उक्त प्रकरण में The Food Safety and Standards Act, 2006 Ruls 51 एवं विनियम-2011 के उल्लंघन की दशा में अवमानक (Substandard) में राशि पाँच लाख रुपये की अधिकतम सीमा तक जुर्माना / दण्ड / शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है, तदापि सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अप्रार्थीगण श्री श्री मोहित अग्रवाल पुत्र श्री राजकुमार अग्रवाल, उम्र 32 वर्ष, जाति वैश्य, मालिक मैसर्स:- राजकुमार मावा भण्डार, नाना साहब का बाडा, बजरिया, धौलपुर जिला धौलपुर पर सहमति से प्रकरण के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत राशि 10000/- रुपये (दस हजार रुपये) जुर्माना लगाया जाता है। जुर्माने की राशि कैशियर कलेक्ट्रेट कार्यालय, धौलपुर को जमा करावें। बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(बाल कृष्ण तिवारी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
धौलपुर (राज०)